इसे वेबसाइट **www.govtpress.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 मई 2023–ज्येष्ठ 5, शक 1945

भाग ४

विषय–सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)–कुछ नहीं

भाग ४ (ख)–कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

No. A/2627 Jabalpur, the 16th May 2023

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 477 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नियम तथा आदेश (आपराधिक) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियम तथा आदेश में, अध्याय चार में, नियम 87 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"87. धारा 164 के अधीन साक्षी/अभियोक्त्री का कथन.–

(1) संस्वीकृति से भिन्न कोई भी कथन, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उप–धारा (5) के अधीन उपबंधित किए गए अनुसार अभिलिखित किया जाएगा।

(2) जहां कथन अभियोक्त्री का है, वहां वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उप–धारा (5क) के अधीन विशेषतः महिला न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।

(3) उप–नियम (2) के प्रयोजन के लिए, जहां अभियोक्त्री को प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज किए जाने के चौबीस घंटे से अधिक का समय समाप्त होने के पश्चात् दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया जाता है, वहां दण्डाधिकारी, अन्वेषक अधिकारी से विलंब के कारणों को उल्लिखित करने वाले प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त करेगा, जैसा कि केस डायरी में अभिलिखित है।

(4) न्यायालय, अन्वेषक अधिकारी से तत्काल अभियोक्त्री से संबंधित चिकित्सा विधिक प्रमाण–पत्र की एक प्रति प्राप्त करेगा।

(5) उप–नियम (3) और (4) में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ उप–नियम (2) के अधीन तथा अभिलिखित मूल कथन को एक आवरण में बांधकर सील–बंद किया जाएगा और प्रेषण तथा संबंधित न्यायालय द्वारा प्राप्ति का प्रमाण संधारित करते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 की उप–धारा (6) के अधीन जांच या विचारण करने वाले न्यायालय को अग्रेषित किया जाएगा।

(6) कथन अभिलिखित करने वाला न्यायालय उप–नियम (2), (3) और (4) में निर्दिष्ट किन्हीं दस्तावेजों की प्रति अपने पास नहीं रखेगा।

(7) उपरोक्त उप–नियम (2) के अधीन अभिलिखित कथन की एक प्रति, अन्वेषक अधिकारी को कार्यवाहियों के अभिलेख में यह विनिर्दिष्ट निर्देश अभिलिखित करते हुए प्रदत्त की जाएगी और अन्वेषक अधिकारी द्वारा हाशिए में अपने हस्ताक्षर सहित इसकी अभिस्वीकृति दी जाएगी, कि इसे किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाएगा।

(8) अभियुक्त को केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 या 208 के अधीन प्रक्रम पर ही, उप–नियम (2) के अधीन अभिलिखित कथन की प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा।"।

रामकुमार चौबे, रजिस्ट्रार जनरल.

In exercise of the powers conferred by Article 227 of the Constitution of India read with section 477 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment in the Madhya Pradesh Rules and Orders (Criminal), namely :-

AMENDMENT

In the said Rules and Orders, in chapter IV, for Rule 87, the following rule shall be substituted, namely:-

"87. Statement of a witness/prosecutrix under section 164 :

(1) Any statement other than a confession, shall be recorded as provided under sub-section (5) of section 164 of the Code of Criminal Procedure.

(2) Where the statement is of the prosecutrix, it shall be recorded under sub-section (5A) of section 164 of the Code of Criminal Procedure, preferably by a lady judicial magistrate.

(3) For the purpose of sub-rule (2), where the prosecutrix is produced before the Magistrate after a lapse of more than twenty-four hours from the registration of the First Information Report, the Magistrate shall secure a copy of the report from the investigating officer giving reasons for the delay, as recorded in the case diary.

(4) The Court shall forthwith secure from the investigating officer, a copy of the Medico Legal Certificate pertaining to the prosecutrix.

(5) The original statement as recorded under sub-rule (2) along with documents mentioned in sub-rule (3) and (4), shall be placed in a cover, sealed and forwarded to the Court of inquiry or trial under sub-section (6) of section 164 of the Code of Criminal Procedure, maintaining proof of dispatch and receipt by the courts concerned.

(6) The Court recording the statement, shall not retain a copy of any of the documents referred to in sub-rule (2), (3) and (4).

(7) A copy of the statement recorded under sub-rule (2) *supra* shall be given to the investigating officer with a specific direction recorded in the record of proceedings and acknowledged by the investigating officer with his signature in the margin, that the same shall not be disclosed to anyone.

(8) The accused shall have a right to a copy of the statement recorded under sub-rule (2), only at the stage under section 207 or 208 of the Code of Criminal Procedure.".

RAMKUMAR CHOUBEY, Registrar General.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

अधि. क्रमांक 12 एफ 1–15/2021/18–3:: मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 के साथ पठित धारा 292–क, 292–ख, 292–खक, 292–ग, 292–ङ और 292–छ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 355 तथा 356 के साथ पठित धारा 339–क, 339–ख, 339–खक, 339–ग, 339–ङ और 339–छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 24 मार्च, 2023 में पूर्व प्रकाशित हो चुका है, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :–

– संशोधन –

उक्त नियमों में,–

1. नियम 23 में, भाग–3 में,–

(1) उप–नियम (3) में, पूर्ण विराम के स्थान पर, कॉलन स्थापित किया जाए तथा इसके पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"परंतु सूची के सार्वजनिक होने की तारीख से, सम्बन्धित कालोनी की भूमि सक्षम प्राधिकारी के प्रबन्धन के अधीन होगी और सूची की प्रति, इस आशय से उपपंजीयक कार्यालय को भेजी जाएगी, कि सम्बन्धित कालोनी की भूमि एवं भू–खण्ड/भवन किसी भी प्रकार के अंतरण या अंतरण करार द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। विक्रेता या क्रेता अथवा दोनों से नगरीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी तथा अनापत्ति प्रमाण–पत्र के बिना पंजीयन निष्पादित नहीं किया जाएगा:

परंतु यह और कि, नगरीय निकाय ऐसा अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने के पूर्व संबंधित रहवासी संघ से परामर्श कर सकेगा।"।

(2) उप–नियम (6) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"(क) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292–घ की उप–धारा (9) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339–घ की उप–धारा (9) के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी, उन समस्त व्यक्तियों की, जिन्होंने अनधिकृत कालोनी विकसित करने का

अपराध कारित किया गया है उन सम्पत्तियों को चिन्हांकित करने के पश्चात् कुर्क कर सकेगा;

(ख) खण्ड (क) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समपहृत सम्पत्तियों के व्ययन से प्राप्त राशि, सम्बन्धित निकाय की निधि के रूप में होगी तथा इसका उपयोग केवल सम्बन्धित कालोनी के विकास कार्य के लिए किया जाएगा:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम/नगरपालिका (अचल सम्पत्ति का अंतरण) नियम के अधीन समपहृत अचल सम्पत्तियों के व्ययन के लिए आदेश जारी करेगा और ऐसी सभी सम्पत्तियों का मूल्यांकन प्रचलित कलक्टर गाईडलाईन के आधार पर किया जाएगा:

परन्तु यह और कि सक्षम प्राधिकारी के ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील, आदेश जारी किए जाने की तारीख से 30 दिवस के भीतर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को प्रस्तुत की जा सकेगी।"।

(3) उप–नियम (7) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(7) सक्षम प्राधिकारी, अनधिकृत कालोनी में नागरिक अवसंरचना उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उप–नियम (6) के अधीन तैयार अंतिम अभिन्यास (ले–आउट) के आधार पर, एक योजना तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित किए जाएंगे:–

(क) नागरिक अवसंरचना उपलब्ध कराने की अनुमानित लागत का आंकलन;

(ख) विकास कार्य पूर्ण करने के लिए समय–सीमा;

(ग) विकास कार्यों के लिए प्रति वर्गमीटर विकास शुल्क का निर्धारण;

(घ) आबंटित नहीं किए गए शेष भू–खण्डों तथा भवनों के विक्रय के लिए मानदण्ड;

(ड.) कालोनी की भूमि का कुल क्षेत्र एवं भू–खण्डों/भवनों की संख्या और अविक्रित भूमि और भू–खण्डों/भवनों की संख्या एवं आकार:

परन्तु, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम योजना सर्व सामान्य की जानकारी के लिए समाचार पत्रों, वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों द्वारा प्रदर्शित की जाएगी। विकास योजना को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् भू–खण्ड स्वामी भवन अनुज्ञा, जल संयोजन तथा विद्युत संयोजन के लिए पात्र होंगे।"।

(4) इस प्रकार स्थापित उप–नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–नियम अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(8) सक्षम प्राधिकारी, नियम 23 के अधीन प्रकाशित योजना के क्रियान्वयन के लिए, संबंधित कालोनी में मध्यप्रदेश प्रकोष्ठ स्वामित्व नियम, 2019 के अधीन पंजीकृत रहवासी संघ का गठन कर सकेगा:

परन्तु, ऐसी कालोनियों में, जिनकी बसाहट एक हेक्टयर क्षेत्रफल से कम हो, वहां एक दूसरे की सीमा से लगी कालोनियो के अभिन्यास को यथासम्भव समन्वित कर संयुक्त रहवासी संघ का गठन किया जा सकेगा।"।

2. नियम 24 में,–

(1) उप–नियम (1), (2) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:–

"(1) नियम 23 के उप–नियम (4) के अधीन चिन्हित अनधिकृत कालोनियों में, विकास शुल्क की कुल राशि में से 20% निम्न आय वर्ग के रहवासियों से और 50% अन्य रहवासियों से व्यक्तिगत रूप से प्रभारित की जाएगी:

परन्तु, निम्न आय वर्ग के रहवासियों से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निम्न आय–वर्ग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

(2) विकास शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित की जाएगी तथा विकास शुल्क अवधारित किए जाने के पश्चात् इस संबंध में एक सार्वजनिक सूचना समाचार पत्र तथा अन्य माध्यमों से प्रकाशित की जाएगी और अवधारित विकास शुल्क निम्नलिखित रीति में संग्रहीत किया जा सकेगा:

(एक) भवन अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर;

(दो) बिना अनुमति के निर्मित किसी भवन के प्रशमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर;

(तीन) भू–खण्डों/भवनों के किसी भी प्रकार के अंतरण के लिए नगरीय निकाय से अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर;

(चार) रहवासी संघ के माध्यम से:

परन्तु, सक्षम प्राधिकारी विकास शुल्क किश्तों में जमा किए जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा तथा जिसकी अवधि 24 माह से अधिक नहीं होगी:

परन्तु, यह और कि यदि भू–खण्डधारी द्वारा पूर्व में कोई विकास शुल्क जमा किया गया हो, तो इसका दस्तावेजी प्रमाण या रसीद प्रस्तुत करने पर अवधारित विकास शुल्क में समायोजित किया जा सकेगा।

(3) नियम 23 के उप–नियम (6) के खण्ड (क) के अध्यधीन की गई कार्रवाई के अध्ययीन नियम 23 के उप–नियम (7) के अनुसार प्रकाशित विकास योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त निधियों से तत्काल आरम्भ किया जा सकेगा, अर्थात्:–

(क) भवन/भूखण्ड स्वामियों से प्राप्त विकास शुल्क;

(ख) केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के अधीन प्राप्त निधियां जो योजनाओं के निबंधनों तथा शर्तों के अनुसार कालोनियों में विकास कार्यो पर व्यय की जाएंगी;

(ग) सार्वजनिक निजी भागीदारी तथा संसद सदस्यों एवं विधायकों के स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से प्राप्त राशि;

(घ) विकास कार्य प्रारम्भ करने हेतु समस्त भूखण्डों पर अवधारित विकास शुल्क की पूर्ण वसूली की आवश्यकता नहीं होगी। उपलब्ध निधि से प्राथमिकता के विकास कार्य किए जा सकेंगे;

(ड.) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 292–घ की उप–धारा (9) तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 339–घ की उप–धारा (9) के उपबंधों के अधीन अधिहृत की गई अनधिकृत कालोनी के विकास के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की संपत्ति के विक्रय द्वारा प्राप्त राशिः

परंतु, खण्ड (क), (ख), (ग) तथा (घ) के अधीन प्राप्त राशि, नागरिक अधोसंरचना उपलब्ध कराने हेतु नगर पालिका निधियां मानी जाएगी, जो नियम 23 के उप–नियम (6) के खण्ड (ङ) के अधीन प्राप्त विकास लागत की राशि से समायोजित होगी और विकास लागत तथा समायोजित राशि कालोनी के बाह्य विकास एवं संधारण कार्य में व्यय की जा सकेगी।

(2) उप–नियम (4) का लोप किया जाए।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के, कार्तिकेय उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 25 मई 2023

क्रमांक एफ 1–15–2021–18–3.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड–3 के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 12 एफ 1–15–2021–18–3, दिनांक 25 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय उपसचिव.

Bhopal, Date 25 May 2023

Noti. No.12 F-1-15/2021/18-3 :: In exercise of the powers conferred by sections 292-A, 292-B, 292-BA, 292-C, 292-E and 292-G read with section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and sections 339-A, 339-B, 339-BA, 339-C, 339-E and 339-G read with section 355 and 356 of theMadhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Nagar Palika (Colony Development) Rules, 2021, the same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 24th March, 2023, namely :-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In rule 23, in part-3,-

(1) in sub-rule (3), for the full stop, the colon shall be substituted and thereafter the following provisos shall be inserted,namely:-

"Provided that from the date of making the list public, the land of the concerned colony shall be under the management of the competent authority and a copy of the list shall be sent to the Sub-registrar's office with the intention that the land and plots/buildings of the concerned colony shall not be affected by

any kind of transfer or transfer agreement. Seller or the buyer or both shall be required to obtain a no-objection certificate from the urban body and registration shall not be executed without no-objection certificate:

Provided further that the urban body may consult the concerned resident association before issuing such no objection certificate.".

(2) aftersub-rule (6), the following clause shall be inserted, namely:-

"(a) the competent authority under the provisions of sub-section (9) of section 292-D of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and sub-section (9) of section 339-D of the Madhya Pradesh Municipal Act, 1961, may attach after marking those properties of all the persons who have committed the offence of developing unauthorized colony;

(b) the amount received from the disposal of the forfeitured properties by the competent authority under clause (a) shall be as a fund of the concerned body and shall be used only for the development work of the concerned colony:

Provided that, the competent authority shall issue the order for disposal of forfeitured immovable properties under the Madhya Pradesh Municipal Corporation/Municipality (Transfer of Immovable

Property) Rules and the valuation of all such properties shall be made on the basis of the prevailing Collector Guide Line:

Provided further that the appeal against such order of the competent authority may be filed within 30 days from the date of issue of the order to the Commissioner, Urban Administration and Development.".

(3) for sub-rule (7), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(7) The competent authority, based on the final lay out prepared under sub-rule (6), with the object of providing civic infrastructure in the unauthorized colony, shall prepare a plan in which following points shall be included :-

(a) assessment of estimated cost of providing civic infrastructure;

(b) time period for completion of the development works;

(c) determination of development fee per square meter for development works;

(d) the criteria for sale of remaining plots and buildings which have not been allotted;

(e) total area of land of colony and number of plots/buildings and number and size of unsold land and plots/buildings:

Provided that the final plan shall be displayed by the competent authority for the information of the general public through newspapers, website and other mediums. Plot owners shall be eligible for building permission, water connection and electricity connection after finalisation of the development plan.".

(4) after sub-rule (7) as so substituted,the following sub-ruleshall be inserted, namely:-

"(8) The Competent Authority, for the implementation of the scheme published under rule 23 may constitute registered resident association in the concerned colony under the Madhya pradesh prakoshtha Swamitva Niyam, 2019:

Provided that, in such colonies whose habitations are less than one hectare in area, a joint resident association may be formed by coordinating the layout of the colonies bordering each other as far as possible.".

2. in rule 24,-

(1) for sub-rule (1), (2) and (3), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(1) In unauthorized colonies identified under sub-rule (4) of rule 23, 20% amount from the total amount of development fee shall be charged individually from the

inhabitants of the lower income groups and 50% from the other inhabitants:

Provided that, the residents belonging to low income group shall be required to submit the lower income group certificate issued by the competent authority.

(2) The last date of depositing the development fee shall beprescribed by the competent authority and after determining the development fee, a public notice in this regard shall be published in newspapers and other mediums and the determined development fee may be collected in the following manner, namely:-

(i) on submission of application for building permission;

(ii) on submission of application for compounding of a building constructed without permission:

(iii) on submission of application for obtaining no-objection certificate from the urban body for any kind of transfer of plots/buildings;

(iv) through residents' association:

Provided that the competent authority may grant permission to deposit the development fee in instalments and the period of which shall not be exceed 24 months.

Provided further that if the plot holder had already deposited the development fee, the amount may be adjusted in the determined development fee on submission of documentary proof or receipt.

(3) Subject to the action taken under clause (a) of sub rule (6) of rule23, the implementation of the development plan published as per sub-rule (7) of rule 23 may be started immediately from the funds received through the following means, namely :-

(a) development charges received from the building/plot owners;

(b) the funds received under the schemes announced by the Central and State Governments which shall be spent on development works in the colonies as per the terms and conditions of the schemes;

(c) public private partnership and the amount received from the Local Area Development Fund of the Members of Parliament and Legislators;

(d) there shall be no need for full recovery of the determined development fee on all the plots to start the development work. Priority development works can be done with the available funds.

(e) by sale of property of the person responsible for development of unauthorized colonies confiscated

under the provisions of sub-section (9) of section 292-D of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 and sub-section (9) of section 339-D of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961:

Provided that the amount received under clauses (a), (b), (c) and (d) shall be deemed to be municipal funds for providing civic infrastructure, which shall be adjusted from the amount of the development cost received under clause (e) of sub-rule (6) of rule 23 and the development cost and the adjusted amount may be spent on the external development and maintenance work of the colony.".

(2) sub-rule (4) shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R.K.KARTIKEY, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2023